कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(जिला सामान्य शाखा)
आदेश

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0–IV-03/2018 के टिप्पणी पृष्ट संख्या–06 पर दिनांक 05.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी पद्मानन्द चौधरी, पिता–स्व0 महेन्द्र चौधरी, साकिन+पो0–नयागाँव (शिरामणि टोला), थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया के वयोवृद्ध होने तथा बीमार रहने की स्थिति में उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या– 02/1970 (परबत्ता थाना) को रद्द किया जाता है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) तथा आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत आवेदक पद्मानन्द चौधरी, पिता–स्व0 महेन्द्र चौधरी, साकिन+पो0–नयागाँव (शिरामणि टोला), थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र सं0–58742 (दोनाली बन्दूक) को श्री प्रभात कुमार, पिता–विजय कुमार, ग्राम+पो0–गालिमपुर, लोहची, थाना–खड़गपुर, जिला–मुंगेर से शस्त्र क्रय हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में बिक्री करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा करते हुए शस्त्र बिक्री के पश्चात् सूचना इस कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2018.....07...../जी0, दिनांक 10.01.19

प्रतिलिपि : पद्मानन्द चौधरी, पिता–स्व0 महेन्द्र चौधरी, साकिन+पो0–नयागाँव (शिरामणि टोला), थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री प्रभात कुमार, पिता–विजय कुमार, ग्राम+पो0–गालिमपुर, लोहची, थाना–खड़गपुर, जिला–मुंगेर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, परबत्ता थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

10.1.2019

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।